मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/डा.रि./2018–19/1100 भोपाल दिनांक 30 मार्च 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषय:–भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना क्रियान्वयन अंतर्गत आवक एवं भाव की जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग करने संबंधी।

–0–

उल्लेखित विषय में Data Collection and Validation on Agmarknet Project के संदर्भ में दिनांक 20 मार्च 2019 को नई दिल्ली से Shri M. Thangaraj, Joint Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, Directorate of Marketing & Inspection एवं Shri B.K. Prusty, Dy. AMA सहित भारत सरकार की संस्था ICAR के Scientists की उपस्थिति में सम्पन्न विडियो कान्फ्रेंस बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ साथ अन्य राज्यों से निम्नानुसार अपेक्षा की गई है :–

01. मण्डी स्तर से दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में उसी दिन अर्थात 24 घंटे के अंदर नियमित रुप से भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराई जावे।

02. मण्डी समितियॉ दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी 03 दिवस के अंदर भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगी।

03. आवक की जानकारी दर्ज करते समय मात्रा की इकाई टन/क्विंटल का चयन सावधानीपूर्वक किया जाये।

04. कृषि जिन्स की गुणवत्तावार एवं किस्मवार जानकारी दर्ज करने की अनिवार्य की गई है।

05. दैनिक आवक एवं भाव के anomalous data अथवा विषम डेटा, त्रुटिपूर्ण डेटा को मण्डी समितियॉ सात दिवस के अंदर चैक कर सकेंगी एवं सुधार सकेंगी।

06. प्रदेश की राष्ट्रीय कृषि बाजार "ई–नाम" पोर्टल वाली चयनित मण्डियॉ एगमार्कनेट पोर्टल V/S राष्ट्रीय कृषि बाजार "ई–नाम" पोर्टल पर दर्ज दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी का मिलान करने की अपेक्षा की गई है ताकि दोनों जानकारियों में एकरुपता रहे।

Sandeep

अतः निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा की गई उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुरुप भारत सरकार की एगमार्कनेट योजना का कियान्वयन प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये तथा एक सप्ताह की समय सीमा में पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2018–19/1101 भोपाल दिनांक 30 मार्च 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) Shri M. Thangaraj, Joint Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, Directorate of Marketing & Inspection A-Block, CGO Complex, NH-IV, Faridabad (Haryana) – 121001.

(02) Shri B.K. Prusty, Dy. AMA, Directorate of Marketing & Inspection, Directorate of Marketing & Inspection A-Block, CGO Complex, NH-IV, Faridabad (Haryana) – 121001.

(03) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सह एगमार्कनेट योजना समन्वयक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार, स्थानीय कार्यालय 245, द्वितीय तल, महाराणा प्रताप नगर, जोन–2 भोपाल (म0प्र0)।

(06) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(07) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– विषय संदर्भ में भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षाओं के अनुरुप एगमार्कनेट योजना का कियान्वयन तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय सीमा में पालन प्रतिवेदन अपने आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक के माध्यम से भिजवायें।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल